उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

विविध आवेदन सं0–15/2017

मु0 अलीमुद्दिन

बनाम्

झारखण्ड राज्य

–: आदेश :–

दिनांक 13/5/23

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विज्ञ सरकारी वकील को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान वाद की प्रक्रिया आवेदक मु0 अलीमुद्दिन, पे0–स्व0 जार अली, सा0–घाट गम्हरिया, थाना–महागामा, जिला–गोड्डा के आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। आवेदक ने अनुज्ञप्ति सं0–3/81 को पुनः स्थापित करते हुए आवेदक के जान माल की सुरक्षा के लिए उक्त अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत धारित रायफल सं0–81 ए0बी0/2138 को विमुक्त के लिए आवेदन दिया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक रायफल अनुज्ञप्ति सं0–3/81 के अनुज्ञप्ति धारक है एवं उक्त अनुज्ञप्ति के के आधार पर उन्हें रायफल सं0–81ए0बी0/2138 प्राप्त है। आवेदक के उक्त अनुज्ञप्ति को महागामा थाना काण्ड सं0–12/96 दिनांक–10.02.96, जो भा0द0सं0 की धारा 324, 307, 302/34 के तहत दर्ज है, के आधार पर उपायुक्त के कार्यालय, गोड्डा के ज्ञापांक–2848 दिनांक–06.11.96 के द्वारा रद्द किया गया है एवं उसकी रायफल को पी0डी0 शर्मा कम्पनी सकरूगढ़, साहेबगंज में रसीद सं0–161 के द्वारा जमा किया गया है। आवेदक का उस घटना से कोई संबंध नहीं था। आवेदक को अन्य सह अभियुक्तों के साथ महागामा थाना काण्ड सं0–12/96 के तहत दर्ज उक्त मामलें में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, गोड्डा के सत्र केश नं0–237/97, 136/96 के आदेश दिनांक–22.02.2003 के द्वारा बरी कर दिया गया है। इसलिए आवेदक के स्वच्छ छवि में कोई आपत्ति नहीं है। चूँकि आवेदक के बहुत सारे दुश्मन है। इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए उनकी रद्द अनुज्ञप्ति को पुनः बहाल करना आवश्यक है। उन्होंने अपने जान माल की सुरक्षा के लिए अनुज्ञप्ति संख्या–3/81 को पुनः चालू करते हुए, उक्त अनुज्ञप्ति के द्वारा धारित रायफल नं0–81ए0बी0/2138 को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है।

विज्ञ सरकारी वकील का मंतव्य है कि वर्तमान वाद में संलग्न कागजात से स्पष्ट होता है कि आवेदक को अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, गोड्डा के सत्र केश नं0–237/97, 136/96 के आदेश दिनांक–22.02.2003 के द्वारा बरी कर दिया गया है और उस बरी किये जाने के विरूद्ध अपील पुनरीक्षण दायर करने के संबंध में कोई भी जानकारी इस न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नहीं करया गया है। इसलिए लाईसेंस सं0–3/81 के रद्द करने का आदेश को निरस्त किया जा सकता है एवं जहाँ तक रायफल की विमुक्त करने का सवाल है, चूँकि उक्त रायफल सत्र केश नं0–237/97, 136/96 में प्रदर्श है। इसलिए उक्त रायफल को संबंधित न्यायालय के द्वारा ही विमुक्त किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेखबद्ध कागजात से स्पष्ट होता है कि आवेदक के विरूद्ध महागामा थाना काण्ड संख्या–12/96 दिनांक–10.02.96, धारा 324, 307, 302/34 भा0द0सं0 के तहत दर्ज मामलें में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, गोड्डा के आदेश दिनांक–22.02.2003 के द्वारा आवेदक को बरी कर दिया गया है। विज्ञ सरकारी सरकारी वकील का मंतव्य है कि बरी किये जाने के विरूद्ध अपील या पुनरीक्षण दायर करने का कोई भी जानकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में आवेदक चाहे तो शस्त्र अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन दे सकते है और चूँकि रायफल संख्या–81ए0बी0/2138 अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम गोड्डा के सत्र केश नं0–237/97, 136/96 में प्रदर्श है। अतएव उक्त रायफल की विमुक्ति हेतु आवेदक संबंधित न्यायालय से अनुरोध कर सकते हैं। इस निदेश के साथ वर्तमान वाद की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.09.05 12:22:08 +05:30
Location: 172.21.32.1